सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

आषाढ़ 19, बुधवार, शाके 1946 - जुलाई 10, 2024

Asadha 19, Wednesday, Saka 1946 - July 10, 2024

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.13 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि प्रतिफल के भाग के रूप में प्रभारित माल और सेवा कर की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-74]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.14 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2022-111 दिनांक 23.02.2022 और प.4(2)वित्त/कर/2023-46 दिनांक 10.02.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि दो या अधिक कंपनियों के मध्य आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेश से संबंधित हस्तांतरण विलेख पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और अधिकतम 25 करोड़ के अध्यधीन रहते हुए, निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

(i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित पूर्णत: समादत्त शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, को मिलाकर कुल रकम के एक प्रतिशत के बराबर रकम, या यथास्थिति,

(ii) अंतरक कंपनी या पारिणामिक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर रकम,

जो भी अधिक हो।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-75]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.15 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(15)वित्त/कर अनु./98-73 दिनांक 14.08.1998 और प.4(2)वित्त/कर/2023-31 दिनांक

10.02.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कृषिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए विद्युत संयोजन उपलब्ध करवाये जाने के लिए निष्पादित करार पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा और अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रत्येक करार के लिए 100 रुपया स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-76]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.16 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2023-25 दिनांक 10.02.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र. सं.	लिखत का विवरण	हस्तान्तरण-पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	राज्य सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों, लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व संनिर्माण के साथ या बिना किसी भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर।
2.	संनिर्माण के साथ या बिना किसी भूमि के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन उस भूमि का विक्रय विलेख या दान विलेख रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर।

टिप्पण: 1. पट्टा विलेख जारी करते समय राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन की तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करवायेगा;

2. पट्टाधारक, क्रेता या आदाता उसके पट्टा विलेख, विक्रय विलेख या, यथास्थिति, दान विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाणपत्र और/या अरजिस्ट्रीकृत तथा असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा;

3. उप-पंजीयक, ऐसा पट्टा विलेख, विक्रय विलेख या, यथास्थिति, दान विलेख तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि टिप्पण 1 या, यथास्थिति, 2 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र और/या मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी गयी हैं और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क और अधिभार वसूल नहीं कर लिया गया है; और

4. उपर्युक्त दरें निष्पादित लिखतों पर या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होंगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-77]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.17 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/ कर/2023-27 दिनांक 10.02.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी व्यक्ति, जो राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुमति एवं आबंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप-नियम (3) या नियम 19 के उप-नियम (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी से पट्टा विलेख प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त करने के अपने अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन या अंतरण के प्रयोजन के लिए निष्पादित समनुदेशन

विलेख, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2002 या राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010 के अधीन आने वाली परियोजना के संबंध में विकासकर्ता द्वारा निष्पादित प्रत्येक आबंटन पत्र के लिए	प्रत्येक ऐसे विलेख पर पांच सौ रुपये।
2.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के अधीन नहीं आने वाले किसी अन्य मामले में	संपत्ति, जिसके संबंध में समनुदेशन विलेख निष्पादित किया गया है, के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत

[प.4(2)वित्त/कर/2024-78]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.18 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय इकाई, जिसका बाजार मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, से संबंधित निम्नलिखित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और पांच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) हस्तान्तरण विलेख;या

(ii) आबंटन या विक्रय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों द्वारा जारी/निष्पादित पट्टा विलेख।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के

न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-79]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.19 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(15)वित्त/कर/2014-57 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक बहुमंजिला भवनों की इकाई के पश्चात्वर्ती हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, ऐसी इकाई के प्रथम हस्तान्तरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर निष्पादित होने पर, घटाया जायेगा और बाजार मूल्य के तीन प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-80]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.20 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय

पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(17)वित्त/कर/2019-28 दिनांक 10.07.2019 और संख्यांक प.4(17)वित्त/कर/2019-37 दिनांक 10.07.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

(i) शहीद की पत्नी के पक्ष में,

(ii) यदि शहीद की पत्नी जीवित नहीं है, तब या तो अवयस्क पुत्री या अवयस्क पुत्र के पक्ष में,

(iii) यदि शहीद अविवाहित था, तब या तो उसके पिता या माता के पक्ष में, और

(iv) यदि शहीद विधुर था और उसके कोई अव्यस्क संतान नहीं है, तब या तो उसके पिता या माता के पक्ष में,

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख या पट्टा विलेख या किसी व्यक्ति या निजी संगठन द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस का, संबंधित कल्याण अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-81]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.21 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(6)वित्त/कर/2016-231 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि लिखत के निष्पादन की तारीख के प्रारंभ से कलक्टर (स्टाम्प) के आदेश की तारीख से तीस दिवस की अवधि के अवसान तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अवधारित स्टाम्प शुल्क की रकम

पर धारा 72 के अधीन प्रभार्य ब्याज का परिहार किया जायेगा किंतु पूर्व में संदत्त ब्याज का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-82]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.22 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 57 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के विद्यमान नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"57. शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों का लिखत में उपवर्णित किया जाना.- (1) प्रतिफल, यदि कोई हो, और किसी लिखत की शुल्क से प्रभार्यता या शुल्क की रकम जिसके साथ वह प्रभार्य है, पर प्रभाव डालने वाले समस्त अन्य तथ्य और परिस्थितियां, उसमें पूर्णतया और सही रूप में उपवर्णित की जायेंगी।

(2) स्थावर संपत्ति का बाजार मूल्य, खुली भूमि और सन्निर्मित प्रभाग के बाजार मूल्य के आधार पर उनकी संबंधित दरों के अनुसार पृथक्-पृथक् अवधारित किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, स्टाम्प शुल्क पर प्रभाव डालने वाली स्थावर संपत्ति की लिखत में उल्लिखित तथ्यों की सत्यता को अभिनिश्चित करने के लिए, संपत्ति का स्वयं निरीक्षण कर सकेगा या ऐसे निरीक्षण के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी या उप-नियम (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी को निदेश दे सकेगा।

(4) राज्य सरकार लिखत में उल्लिखित स्थावर संपत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के सही होने को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, स्थानीय निकायों या राजकीय उपक्रमों के किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण के लिए आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसी स्थावर संपत्तियों के इलैक्ट्रानिक युक्ति से या अन्यथा निरीक्षण की रीति और मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार या महानिरीक्षक स्टाम्प किसी सूचना के विनिर्दिष्ट उल्लेख के लिए प्रोफार्मा विहित कर सकेगा और सम्यक् रूप से भरा हुआ ऐसा प्रोफार्मा सदैव लिखत का भाग समझा जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-83]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.23 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि जहां उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ), अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 50 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक लिखतें ऋण के एकल संव्यवहार को पूर्ण करने के लिए नियोजित की जाती हैं वहां उक्त अधिनियम की अनुसूची में इनके लिए विनिर्दिष्ट शुल्क केवल मूल लिखत पर प्रभार्य होगा और अन्य शेष लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-84]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.24 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक

प.4(2)वित्त/कर/2024-67 दिनांक 08.02.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

1. स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का निम्नलिखित मामलों में परिहार किया जाएगा, अर्थात्:-
   (i) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लंबित मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क 10.07.2024 से 31.12.2024 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।
   (ii) 10.07.2024 से 31.12.2024 की कालावधि के दौरान कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष फाइल किये गये मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क 10.07.2024 से 31.12.2024 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।
   (iii) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णित मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क 10.07.2024 से 31.12.2024 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।
   (iv) इस अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामले जिनमें पक्षकार मामले को प्रत्याह्वत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है और संदेय स्टाम्प शुल्क 10.07.2024 से 31.12.2024 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।
2. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के अधीन निक्षिप्त रकम और 10.07.2024 से पूर्व निक्षिप्त स्टाम्प शुल्क की रकम स्टाम्प शुल्क के संदाय के पेटे समायोजित की जायेगी।
3. पूर्वोक्त मामलों में पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क या किसी अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-85]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.25 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(15) वित्त/कर/2014-49 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय

होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड.) के अधीन करार या किसी करार के ज्ञापन और अनुच्छेद 44 के खण्ड (च) के अधीन मुख्तारनामे पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

1. भूमि के बाजार मूल्य का 2.5 प्रतिशत, जहां विकासकर्ता या संप्रवर्तक को करार या करार के ज्ञापन या मुख्तारनामे के अधीन प्रतिफल के रूप में विकसित सम्पत्ति का भाग प्राप्त होता है और विकसित सम्पत्ति के उस भाग का स्वयं विक्रय करने की उसे शक्तियां दी जाती हैं।
2. भूमि के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, जहां विकासकर्ता या संप्रवर्तक को करार या किसी करार के ज्ञापन या मुख्तारनामे के अधीन विकसित सम्पत्ति के किसी भाग का विक्रय करने के लिए शक्तियां नहीं दी गयी हैं।

[प. 4(2)वित्त/कर/2024-86]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.26 .-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) और (2) तथा धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 4(2)वित्त/कर/2024-68 दिनांक 08.02.2024 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) अनुच्छेद-2 के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "मूल्य या प्रतिफल का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।" के स्थान पर अभिव्यक्ति " मूल्य या प्रतिफल का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो किन्तु न्यूनतम तीन सौ रूपये के अध्यधीन।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अनुच्छेद-7 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुच्छेद-7

तलाशी और निरीक्षण के लिए फीस

1.	(क) प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तलाशी	प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये
	(ख) प्रत्येक परिभाषित समय स्लॉट के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से तलाशी	प्रत्येक स्लॉट के लिए 50 रुपये
	(ग) प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण	प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये
	(घ) दस्तावेज की प्रति बनाना और स्कैनिंग करना	प्रति दस्तावेज 300 रुपये
2.	**स्थल निरीक्षण,-**	
	उप-रजिस्ट्रार या सरकार, स्थानीय निकाय या राजकीय उपक्रम का कोई कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थल निरीक्षण	
	(i) जहां संनिर्माण के बिना संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये तक है	प्रति दस्तावेज 500 रुपये
	(ii) जहां संनिर्माण के साथ संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये तक है	प्रति दस्तावेज 1000 रुपये
	(iii) जहां संनिर्माण के बिना संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है	प्रति दस्तावेज 1500 रुपये
	(iv) जहां संनिर्माण के साथ संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है	प्रति दस्तावेज 2000 रुपये
	(v) जहां संनिर्माण के बिना संपत्ति का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है	प्रति दस्तावेज 2500 रुपये
	(vi) जहां संनिर्माण के साथ संपत्ति का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है	प्रति दस्तावेज 3000 रुपये

"

(iii) अनुच्छेद-10 के क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतियां जारी करने के लिए" हटायी जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-87]

राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.27 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 31 मार्च, 2004 से पूर्व निष्पादित लिखत के मामले में, स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा,-

क्र.सं.	निष्पादन की कालावधि	संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	यदि दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर
2.	यदि दस्तावेज 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2000 के मध्य निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर
3.	यदि दस्तावेज 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2004 के मध्य निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत पर

[प.4(2)वित्त/कर/2024-88]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.28 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 2 के खण्ड (x) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पूर्व में जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 8 के अधीन विभिन्न वृत्तों में नियुक्त समस्त उप-

महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के प्रयोजनों के लिए उनके पदाभिधान से कलक्टर के रूप में नियुक्त करती है।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-89]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.29 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(82)वित्त/कर/2010-97 दिनांक 30.11.2010 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-90]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.30 .-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए बनाये गये निम्नलिखित नियम इसके द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 181 का संशोधन.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 के खण्ड-1 के विद्यमान नियम 181 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"181. रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों का रद्दकरण या उनमें शुद्धिकरण.- जब कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा रद्द या शुद्ध किया जाता है और रद्दकरण या, यथास्थिति, शुद्धिकरण के आदेश की प्रति उस रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को भेजी जाती है जिसमें यह रजिस्ट्रीकृत किया गया था, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रद्द किये गये या शुद्ध किये गये दस्तावेज की प्रति के सामने न्यायालय या प्राधिकारी का नाम, आदेश की तारीख और पक्षकारों के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए, रद्दकरण या, यथास्थिति, शुद्धिकरण का टिप्पण करेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी टिप्पण के ये ब्यौरे अनुक्रमणिका में भी प्रविष्ट करेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-91]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.31 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2023-37 दिनांक 10.02.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि व्यवस्थापन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और निम्नानुसार प्रभारित की जायेगी:

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क	रजिस्ट्रीकरण फीस
1	2	3	4
1.	यदि ऐसी लिखत पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री या पुत्रवधु के पक्ष में निष्पादित की जाती है	शून्य	शून्य

2.	यदि ऐसी लिखत कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के पक्ष में निष्पादित की जाती है	ऐसी लिखत द्वारा बंदोबस्त की गयी सम्पति के बाजार मूल्य का 1.5 प्रतिशत	शून्य

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "कुटुम्ब का सदस्य" से व्यवस्थापनकर्ता का पिता, माता, पति, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री और पुत्रवधू अभिप्रेत है।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-92]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.32 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(15)वित्त/कर/2015-47 दिनांक 26.06.2015, प.4(6)वित्त/कर/2016-242 दिनांक 08.03.2016, प.4(2)वित्त/कर/2021-278 दिनांक 24.02.2021 और प.4(2)वित्त/कर/2022-120 दिनांक 23.02.2022 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और उक्त सारणी के क्रमश: स्तंभ संख्यांक 3 और 4 में उनके प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जायेगा:-

सारणी

क्र.सं.	**लिखत का विवरण**	**स्टाम्प शुल्क**	**रजिस्ट्रीकरण फीस**
1	**2**	**3**	**4**
1.	संपादन आस्तियों (मानक आस्तियां) के संबंध में निष्पादित ऋण समनुदेशन	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऋण की रकम का एक प्रतिशत

2.	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन जारी की गई प्रतिभूति रसीदें	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए सकल आस्ति मूल्य की रकम का 0.25 प्रतिशत	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऋण की रकम का एक प्रतिशत
3.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पन्द्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का एक प्रतिशत
4.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का एक प्रतिशत
5.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 30 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम का 0.25 प्रतिशत	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम का एक प्रतिशत
6.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का एक प्रतिशत
7.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 50 में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का एक प्रतिशत

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-93]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.33 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कुटुंब के सदस्यों के मध्य उनके संयुक्त स्वामित्व में गैर-कृषिक संपत्तियों के विनिमय के संबंध में निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और अधिक मूल्य की संपत्ति, जो विनिमय की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के क्रमश: दो प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "कुटुंब सदस्य" से अभिप्रेत है और इसमें पिता, माता, पति, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री और पुत्रवधु सम्मिलित हैं।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-94]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.34 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भूमि के स्वामी के पक्ष में उसके द्वारा अभ्यर्पित की गयी भूमि के बदले में जारी अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-95]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.35 .-राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परन्तुक के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनन्य रूप से उपयोग की गयी स्वउत्पादित ऊर्जा के उपभोग, सामान्यत: सहायक ऊर्जा उपभोग के रूप में जाने जानी वाली ऊर्जा, पर किसी व्यक्ति द्वारा संदेय विद्युत शुल्क के संदाय से राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा यथा अनुज्ञात सीमा तक इसके द्वारा छूट देती है:

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट स्व-उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा के आधार पर संगणित की जायेगी किन्तु आबद्ध ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत के विक्रय पर अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

'**सहायक ऊर्जा उपभोग**' से विद्युत उत्पादन के लिए किसी उत्पादन केंद्र पर स्थित किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा उपभुक्त विद्युत अभिप्रेत है जिसमें आबद्ध उत्पादन संयंत्र, सह-उत्पादन संयंत्र या कोई अन्य उत्पादन संयंत्र और उत्पादन केन्द्र के भीतर ट्रांसफार्मर हानियां सम्मिलित हैं:

परन्तु इसमें उत्पादन केंद्र द्वारा उसकी आवासन कालोनी को दी गयी बिजली का प्रदाय और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादन केन्द्र पर किये गये सन्निनिर्माण कार्यों के लिए उपभुक्त ऊर्जा सम्मिलित नहीं होगी।

[प.12(26)वित्त/कर/2024-78]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.36 .-राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 8क और 8ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस अधिसूचना की तारीख तक आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनन्य रूप से उपयोग की गयी स्व उत्पादित ऊर्जा के सहायक ऊर्जा उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क की रिबेट और ब्याज तथा शास्ति का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा उल्लिखित संदेय विद्युत शुल्क के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 4 में यथा उल्लिखित सीमा तक अनुज्ञात करती है:-

सारणी

क्र.सं.	**संदेय विद्युत शुल्क**	**शर्तें**	**विद्युत शुल्क के रिबेट और ब्याज और शास्ति के अधित्यजन की रकम**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
	आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनन्य रूप से उपयोग की गयी स्व उत्पादित ऊर्जा के सहायक ऊर्जा उपभोग पर संदेय	उपभोक्ता संदेय विद्युत शुल्क का 10% निक्षिप्त कर देता है।	इस अधिसूचना के अधीन विद्युत शुल्क निक्षिप्त किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ

	विद्युत शुल्क जो,- (i) संबंधित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवधारित और उपभोक्ता को सूचित किया गया है; (ii) प्राधिकारी द्वारा अब तक अवधारित नहीं किया गया है; और (iii) इस अधिसूचना की प्रवर्तन कालावधि के दौरान प्राधिकारी के समक्ष उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छया प्रकट किया जाता है।		विद्युत शुल्क की शेष रकम और ब्याज और शास्ति की संपूर्ण रकम।

सहायक ऊर्जा उपभोग की संगणना.- इस अधिसूचना के अधीन छूट स्व-उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा के आधार पर संगणित की जायेगी किन्तु आबद्ध ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत के विक्रय पर अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

शर्तें:- इस अधिसूचना के अधीन फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

(क) इस अधिसूचना के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को अपनी रजामंदी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा और उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करायेगा;

(ख) आवेदक को किसी न्यायालय या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण, के लिए वचनबंध इस अधिसूचना की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा; और

(ग) विद्युत शुल्क, ब्याज और शास्ति की रकम, यदि पहले से ही संदत्त कर दी गयी है, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(i) **'सहायक ऊर्जा उपभोग'** से विद्युत उत्पादन के लिए किसी उत्पादन केंद्र पर स्थित किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा उपभुक्त विद्युत अभिप्रेत है जिसमें आबद्ध उत्पादन संयंत्र, सह-उत्पादन संयंत्र या कोई अन्य उत्पादन संयंत्र और उत्पादन केन्द्र के भीतर ट्रांसफार्मर हानियां सम्मिलित हैं:

परन्तु इसमें उत्पादन केंद्र द्वारा उसकी आवासन कालोनी को दी गयी बिजली का प्रदाय और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादन केन्द्र पर किये गये सन्निनिर्माण कार्यों के लिए उपभुक्त ऊर्जा सम्मिलित नहीं होगी।

(ii) इस अधिसूचना के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया और कठिनाइयों, यदि कोई हो, के निराकरण के लिए आदेश आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी और 31.12.2024 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.12(26)वित्त/कर/2024-79]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.37 .-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य में नागर विमानन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन या एयरक्राफ्ट टाईप ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन को ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर संदेय कर से उस सीमा तक जिस तक कर की दर 2 प्रतिशत से अधिक है, इस शर्त पर कि क्रेता आर्गनाईजेशन, वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति से, इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप मूपक-72 में एक घोषणा प्ररूप जनित करेगा और विक्रय व्यवहारी को इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-72 की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति देगा, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है।

[प.12(26)वित्त/कर/2024-80]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.38 .-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.12(7)वित्त/कर/2024-72 दिनांक 08.02.2024 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खण्ड 1 के उप-खण्ड (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "31.07.2024" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.12.2024" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) खण्ड 4 में दी गयी सारणी में,-

(क) विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 2क और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

2क.	परादेय मांग जो डीसीआर में एकल प्रविष्टि में दस लाख रु. से अधिक नहीं है।	लागू नहीं	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ कर, ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।

"

(ख) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "इस सारणी के क्रम संख्यांक 1 और 2" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस सारणी के क्रम संख्यांक 1,2 और 2क" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) खण्ड 4 में दी गयी सारणी के अधीन स्पष्टीकरण संख्यांक 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "31.07.2024" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.12.2024" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(26)वित्त/कर/2024-81]

राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.39 .-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 53 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 53 के उप-नियम (1) का विद्यमान स्पष्टीकरण हटाया जायेगा।

3. नियम 54 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 54 के उप-नियम (1) का विद्यमान स्पष्टीकरण हटाया जायेगा।

[प.12(26)वित्त/कर/2024-82]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.40 .-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ अनुज्ञप्तियां नहीं रखने वाले व्यवहारियों/व्यक्तियों को विक्रय की गयी विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर के विक्रय पर संदेय कर से, उस

सीमा तक जिस तक कर की दर 20 प्रतिशत से अधिक है इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से छूट देती है।

[प.12(26)वित्त/कर/2024-83]
राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.41 .-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.07.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट गैर-परिवहन यानों और परिवहन यानों पर संदेय एकबारीय कर की दर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर तुरंत प्रभाव से, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यान के वर्ग का वर्णन**	**एकबारीय कर की दर**
1	2	3
1.	इंजन क्षमता वाले परिवहन या गैर-परिवहन यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले दो पहिया वाले यान।	
	(क) 200 सीसी तक	यान की लागत का 8 प्रतिशत
	(ख) 200 सीसी से अधिक और 500 सीसी तक	यान की लागत का 13 प्रतिशत
	(ग) 500 सीसी से अधिक	यान की लागत का 15 प्रतिशत
2.	परिवहन या गैर-परिवहन यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले तीन पहिया वाले यात्री यान	
	(क) तीन तक की बैठक क्षमता के साथ	रु. 3,000/-
	(ख) चार की बैठक क्षमता के साथ	रु. 6,000/-
	(ग) चार से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	रु. 8,000/-
3.	इंजन क्षमता वाले 10 तक की बैठक क्षमता के साथ चार पहिया वाले गैर-परिवहन यान	

	(क) 800 सीसी तक	यान की लागत का 6 प्रतिशत
	(ख) 800 सीसी से अधिक और 1200 सीसी तक	यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(ग) 1200 सीसी से अधिक	
	(i) पैट्रोल/सी.एन.जी./एल.पी.जी./सोलर एनर्जी	यान की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) डीजल	यान की लागत का 12 प्रतिशत
4.	तीन पहिया से अधिक वाले टैक्सी कैब/मैक्सी कैब/संविदा गाड़ी अनुज्ञा यान और पर्यटक अनुज्ञा यान	
	(क) 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 12 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 25 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 16 प्रतिशत
5.	माल यान	
	(क) संलग्न यान	
	(i) तीन पहिया वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 9 प्रतिशत
	(ii) तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) संलग्न यान से भिन्न	
	(i) तीन पहिया वाले यान	यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(ii) 3000 कि.ग्रा. तक सकल यान भार वाले तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान की लागत का 10 प्रतिशत
	(iii)3000 कि.ग्रा. से अधिक और 16500 कि.ग्रा. तक सकल यान भार वाले तीन पहिया से अधिक वाले मालयान	यान/चेसिस की लागत का 11 प्रतिशत
6.	उपर्युक्त किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले अन्य मालयान या यान यथा डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन, कैम्पर ट्रेलर, कैशवैन, मोबाइल कैंटीन, हॉलपैक डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बुलेंस, फायर टेण्डर्स, स्नोर्केड् लैडर्स, ऑक्जिलरी ट्रेलर्स, फायर फाइटिंग यान, हीयर्सेज, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्स-रे वैन,	

	लाइब्रेरी वैन आदि।	
	(क) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5 प्रतिशत
7.	प्राइवेट सेवा यान	
	(क) 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 15 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 12 प्रतिशत
	(ख) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 25 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 15 प्रतिशत
8.	7 से अधिक और 10 तक की बैठक क्षमता के साथ शैक्षिक संस्था बस	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 15 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 12 प्रतिशत
9.	प्राइवेट उपयोग के लिए कैम्पर वैन/ट्रेलर	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5 प्रतिशत
10.	रिग, जेनरेटर या कम्प्रेसर जैसे उपस्कर लगे यान, क्रेन माउण्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान या किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाला कोई अन्य गैर-परिवहन यान।	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 8 प्रतिशत
11.	संनिर्माण उपस्कर यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत

	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 8 प्रतिशत
12.	शुद्ध ऑफ-हाइवे यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 7.5 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 6 प्रतिशत
13.	मालयानों के रूप में उपयोग किये जाने के लिए कृषि ट्रेक्टर से संलग्न ट्रेलर्स	रु 500/-

परन्तु,-

(i) उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 और 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित गैर-परिवहन मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संदत्त एकबारीय कर की 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा।

(ii) उपर्युक्त क्रम संख्यांक 9 से 11 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित गैर-परिवहन मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संदत्त एकबारीय कर के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा।

(iii) कोई भी अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगा,-

(क) ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व का अंतरण मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान का कब्जा उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम किया जा रहा हो; या

(ख) ऐसे मामलों में जहां यान के स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध फाइल किया गया दावा तय हो जाने के कारण यान बीमा कम्पनी के नाम अन्तरित किया जा रहा हो।

(iv) राज्य में या राज्य के बाहर पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एकबारीय कर, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से घटा कर, परिनिर्धारित किया जायेगा।

(v) ऐसे मामलों में जहां गैर-परिवहन यान के लिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर अथवा धारा 4-ग के तहत 10.07.2019 से पूर्व प्रचलित एक मुश्त कर संदत्त कर दिया गया है और तत्पश्चात् यान का प्रवर्ग/वर्णन परिवर्तित हो जाता है, तब यान का स्वामी कर के अंतर की रकम संदत्त करेगा यदि प्रवर्ग/वर्णन में परिवर्तन के कारण कर की दर बढ़ जाती है किन्तु यदि प्रवर्ग/विवरण में परिवर्तन के कारण कर की दर कम होती है तो यान के स्वामी को किसी भी कर का संदाय नहीं करना होगा।

(vi) ऐसे मामलों में जहां परिवहन यान के लिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4-ग के अधीन 10.07.2019 से पूर्व प्रचलित एक मुश्त कर संदत्त कर दिया गया है और तत्पश्चात् यान का प्रवर्ग/वर्णन परिवर्तित हो जाता है, तो यान के स्वामी को किसी भी कर का संदाय नहीं करना होगा।

(vii) यदि उपर्युक्त क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाउल्लिखित यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलते पाये जायें तो ये यान उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलना पाया गया था, एकबारीय कर की दर के एक चौथाई के हिसाब से समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा-अधिसूचित कर संदत्त करने के दायी होंगे।

टिप्पण- इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति, मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण:

(i) कर की संगणना के लिए यानों की लागत:-

(क) नये यान/चेसिस के मामले में, किसी भी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी भी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुये, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा-दर्शित एक्स-शोरूम कीमत होगी।

(ख) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/क्रय किये गये और राजस्थान में समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान के लिए, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, वह लागत होगी जो उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(ग) भारत से बाहर विनिर्मित यान के मामले में, भारत के परिक्षेत्र में इसके आयात के समय पर उद्गृहीत माल-भाड़े, करों और शुल्कों को सम्मिलित करते हुए भारतीय मुद्रा में क्रय कीमत होगी।

(ii) "संनिर्माण उपस्कर यान" से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (गकख) में यथा-परिभाषित यान अभिप्रेत है। संनिर्माण उपस्कर यान द्वारा सार्वजनिक सड़क का उपयोग मुख्य ऑफ रूट कृत्य का आनुषंगिक है। यदि सार्वजनिक सड़क का वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए नियमित रूप से उपयोग हो रहा है तो संनिर्माण उपस्कर यान का परिवहन यान होना समझा जायेगा।

(iii) शुद्ध ऑफ-हाइवे यान से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो या तो संनिर्माण उपस्कर के रूप में प्रयुक्त किया गया है या किसी भी परिबद्ध परिसर, कारखाना या खान में उपयोग हेतु डिजाइन किया हुआ और अनुकूलित हो और अपनी स्वयं की शक्ति के स्रोत से चलने हेतु उपस्करित हो।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024/1]
राज्यपाल के आदेश से,

(गोपाल सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.42 .-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प. 6(179) परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट राज्य में रजिस्ट्रीकृत या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत और गैर-अस्थायी परमिट या अस्थायी परमिट पर चलने वाले यात्री यानों पर संदेय मोटर यान कर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यान के वर्ग का वर्णन**	**कर की दर**
1	2	3
1.	किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र के भीतर या उप-नगरीय मार्गों या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाड़ियों को छोड़कर, स्कीम मार्गों (राष्ट्रीयकृत मार्गों) पर चलने वाली मंजिली गाड़ियां	प्रति माह रु. 665/- प्रति सीट
2.	किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या, दोनों, के क्षेत्र के भीतर या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाड़ियों को छोड़कर उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के अन्तर्गत नहीं आने वाली मंजिली गाड़ियां	

	(क) उप नगरीय मार्ग	
	(i) प्रतिदिन 200 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 150/- प्रति सीट
	(ii) प्रतिदिन 200 कि.मी. से अधिक और 300 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 200/- प्रति सीट
	(iii)प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति माह रु. 300/- प्रति सीट
	(ख) अन्य मार्ग	
	(i) प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 207/- प्रति सीट
	(ii) प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक और 150 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 225/- प्रति सीट
	(iii) प्रतिदिन 150 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 252/- प्रति सीट
	(iv) प्रतिदिन 200 कि.मी. से अधिक और 250 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 270/- प्रति सीट
	(v) प्रतिदिन 250 कि.मी. से अधिक और 300 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 288/- प्रति सीट
	(vi) प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति माह रु. 400/- प्रति सीट
3.	ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
	(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. तक हो	प्रति माह रु. 117/- प्रति सीट
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक हो	प्रति माह रु. 126/- प्रति सीट
4.	अनन्य रूप से नगरपालिक/नगर सुधार न्यास सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
	(क) 26 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 4000/-
	(ख) 26 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 5000/-
	(ग) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 10000/-
5.	राजस्थान में अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाली अन्य राज्यों की मंजिली गाड़ियां	
	(i) प्रतिदिन 20 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति दिन रु. 25/-
	(ii) प्रतिदिन 20 कि.मी. से अधिक किन्तु 40 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 50/-

	(iii) प्रतिदिन 40 कि.मी. से अधिक किन्तु 80 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 150/-
	(iv) प्रतिदिन 80 कि.मी. से अधिक किन्तु 120 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 225/-
	(v) प्रतिदिन 120 कि.मी. से अधिक किन्तु 160 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 300/-
	(vi) प्रतिदिन 160 कि.मी. से अधिक किन्तु 240 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 400/-
	(vii)प्रतिदिन 240 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 500/-
	(viii)प्रतिदिन 400 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 700/-
6.	पारस्परिक करार से परे/उसके बिना अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाले अन्य राज्यों के यान	
	(क) 47 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 2.50 प्रति सीट
	(ख) 47 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1.50 प्रति सीट
7.	संविदा गाड़ी परमिटों (पर्यटन परमिटों से भिन्न) अस्थायी और गैर-अस्थायी दोनों परमिटों पर चलाये जा रहे यान, और इस राज्य के परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाये जा रहे यात्री यान	
	(क) गैर-अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 22 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	अधिकतम रुपये 40,000/- प्रति माह के अध्यधीन रहते हुए प्रति माह रु. 700/- प्रति सीट
	(ii) स्लीपर बस	अधिकतम रुपये 40,000/- प्रति माह के अध्यधीन रहते हुए प्रति माह रु. 510/- प्रति सीट
	(ख) अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया वाले मोटर यान	प्रति दिन रु. 35/-
	(ग) अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 6 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 40/-

	(ii) 6 से अधिक और 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 80/-
	(iii) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 400/-
	(iv) 22 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 600/-
8.	इस राज्य के पर्यटन परमिटों पर चलने वाले यान	
	(क) 22 से अधिक बैठक क्षमता के साथ तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	अधिकतम रुपये 40,000/- प्रति माह के अध्यधीन रहते हुए प्रति माह रु. 875/- प्रति सीट
	(ख) तीन पहिया से अधिक वाले स्लीपर कोच	प्रति माह रु. 510/- प्रति सीट
9.	22 से अधिक की बैठक क्षमता वाले प्राइवेट सेवा यान	प्रति माह रु. 290/- प्रति सीट
10.	अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर विकास न्यास सीमाओं और उप-नगरीय मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों, के अलावा फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन मंजिली गाड़ियां	फ्लीट स्वामी द्वारा उस माह के दौरान जिससे कर संबंधित है, भाड़े पर लिये गये वाहनों को सम्मिलित करते हुये, फ्लीट में मंजिली गाड़ियों के रूप में उपयोग या उपयोग के लिए रखे गए प्रति यान रु. 26,250/- प्रतिमाह
11.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिटों पर चलने वाले अन्य राज्यों के पर्यटन यान	
	(क) 6 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 160/-
	(ख) 6 सीट से अधिक और 13 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 210/-
	(ग) 13 सीट से अधिक और 22 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 875/- किन्तु न्यूनतम पांच दिवस के लिए संदत्त किया जायेगा
	(घ) 22 सीट से अधिक और 32 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1000/- किन्तु न्यूनतम पांच दिवस के लिए संदत्त किया जायेगा

	(ङ) 32 सीट से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1600/- किन्तु न्यूनतम पांच दिवस के लिए संदत्त किया जायेगा
12.	राजस्थान राज्य में अस्थायी परमिट पर चलने वाले राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यान	
	(क) तीन पहिया वाले यात्री यान	प्रति सप्ताह रु. 200/-
	(ख) तीन पहिया से अधिक वाले यात्री यान	
	(i) 6 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 160/-
	(ii) 6 सीट से अधिक और 13 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 210/-
	(iii) 13 सीट से अधिक और 22 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 900/- किन्तु न्यूनतम पांच दिवस के लिए संदत्त किया जायेगा
	(iv) 22 सीट से अधिक और 32 सीट तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1000/- किन्तु न्यूनतम पांच दिवस के लिए संदत्त किया जायेगा
	(v) 32 सीट से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1600/- किन्तु न्यूनतम पांच दिवस के लिए संदत्त किया जायेगा
13.	स्पेयर यान (किसी भी परमिट के अधीन नहीं आने वाला यान)	रु. 320/- प्रति सीट प्रति माह

परन्तु,

(i) यदि क्रम संख्यांक 1 से 3 के अधीन आने वाली कोई मंजिली गाड़ी मोटरयान अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे अनुज्ञात ट्रिप/ट्रिपों से अन्यथा किसी ट्रिप पर चलती हुई पायी जाये तो ऐसी मंजिली गाड़ियों के उस प्रवर्ग, जिसके लिए उसे चलने के लिए अनुज्ञात किया गया है, के सामने विनिर्दिष्ट दर से अतिरिक्त कर संपूर्ण मास के लिए संदत्त करने की दायी होगी।

(ii) क्रम संख्यांक 1 से 3 और 7 से 9 में विनिर्दिष्ट, नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा।

(iii) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) के अन्तर्गत आने वाले और अनन्य रूप से नगरपालिक/यूआईटी की सीमाओं के भीतर चलने वाले यानों के मामले में कर अधिकतम 14,000/- रुपये प्रति माह संदेय होगा।

(iv) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) के अधीन आने वाले और राजस्व खण्ड की सीमाओं के भीतर अनन्य रूप से चलने वाले मोटर यान के मामले में कर, ऐसे मोटर यान पर संदेय कर का 30 प्रतिशत होगा।

(v) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) के अधीन आने वाले और किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाई के साथ गैर-अस्थायी नियत संविदा के अधीन अनन्य रूप से चलने वाले मोटर यान के मामले में 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता वाले यानों के लिए अधिकतम रु. 10,000/- प्रति माह और 32 से अधिक की बैठक क्षमता वाले यानों के लिए अधिकतम रु. 14,000/- प्रति माह कर संदेय होगा।

(vi) यदि उपर्युक्त परन्तुक (v) में विनिर्दिष्ट कोई यान, समुचित परमिट के बिना चलता हुआ पाया जाता है तो वह क्रम संख्यांक 1 के सामने यथा-विनिर्दिष्ट कर का दो गुना अतिरिक्त कर संदत्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(vii) यदि 10 से अधिक की बैठक क्षमता वाला यात्री यान किसी विधिमान्य परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलता पाया जाता है तो वह यान क्रम संख्यांक 1 के सामने विनिर्दिष्ट दर पर संपूर्ण माह के लिए अतिरिक्त कर संदत्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(viii) क्रम संख्यांक 13 में विनिर्दिष्ट यान के मामले में उस कालावधि के लिए जिसमें यान बिना परमिट रहता है, कर आनुपातिक आधार पर संदेय होगा।

(ix) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले और 32 तक की बैठक क्षमता वाले यानों के मामले में, जो दो नगरपालिकाओं के बीच पड़ने वाले मार्ग पर एक दिन में 40 कि.मी. तक चलते हों और ऐसे मार्ग की लम्बाई 10 कि.मी. से अधिक नहीं हो, मोटर यान कर प्रति माह रु. 100/- प्रति सीट की दर से संदेय होगा।

(x) यात्री यानों को क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट संदेय कर से छूट दी जायेगी, यदि यान रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या परमिट अभ्यर्पण की तारीख से 30 दिन के भीतर गैर-अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आता है।

(xi) मंजिली यान, उनको छोड़कर जो अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं के भीतर चल रहे हैं, पर मार्च माह के लिए कर, संदेय कर के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा, यदि पूर्ववर्ती ग्यारह माह के लिए लागू कर राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 4 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (v) में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त कर दिया गया है।

टिप्पण-इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति, मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण: स्लीपर कोच की बैठक क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बर्थ 2 सीट के बराबर मानी जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024/2]
राज्यपाल के आदेश से,

(गोपाल सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.43 .-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प. 6(179) परि/कर/मु./2019-20/4 दिनांक 10.07.2019, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट, राज्य में रजिस्ट्रीकृत माल यानों, अस्थायी परमिटों पर चल रहे अन्य राज्य के माल यानों, संनिर्माण उपस्कर यानों, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य में होकर जाने वाले मोटर यानों या मोटर यानों के चेसिस पर और पारस्परिक करार के अधीन जारी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यानों पर संदेय मोटर यान कर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की दर
1	2	3
1.	राज्य के माल यान	
	(क) तीन पहिया से अधिक वाले यान	
	(i) 16500 कि.ग्रा. से अधिक और 18500 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 1000/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष

	(ii) 18500 कि.ग्रा. से अधिक और 42000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 800/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(iii)42000 कि.ग्रा. से अधिक और 48000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 750/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(iv) 48000 कि.ग्रा. से अधिक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 700/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ख) उपर्युक्त किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले कोई अन्य परिवहन यान या यान जैसे कि डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन, कैम्पर ट्रेलर, टिप्पर, कैशवैन, मोबाइल कैंटीन, हॉलपैक डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बुलेंस, एनीमल एम्बुलेंस, फायर टेण्डर्स, स्नोर्कड् लैडर्स, ऑक्जिलरी ट्रेलर्स, फायर फाइटिंग यान, हीयर्सेज, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्स-रे वैन, लाइब्रेरी वैन, इत्यादि	अधिकतम रु. 40,000/- के अध्यधीन रहते हुए रु. 1800/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ग) माल यानों के रूप में उपयोग किये जाने वाले ओवर डायमेंशन कैरियर ट्रेलर	रु. 50,000/- प्रतिवर्ष
2.	पारस्परिक करार के अधीन जारी किये गये परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यान।	
	(i) 9000 कि.ग्रा. तक के भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 500/- रु. प्रतिवर्ष
	(ii) 9000 कि.ग्रा. से अधिक भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 800/- रु. प्रतिवर्ष
3.	राज्य में अस्थायी परमिटों पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यान।	
	(i) 6000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 200/- रु.
	(ii) 6000 कि.ग्रा. से अधिक जी.वी.डब्ल्यू.	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 160/- रु.

4.	राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए आने वाले अन्य राज्यों के संनिर्माण उपस्कर यान	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 1000/- रु.
5.	अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य में होकर जाने वाले मोटर यान या मोटर यानों के चेसिस।	
	(क) ड्राइवर को छोड़कर 10 तक की बैठक क्षमता वाली मोटर कार, ट्रैक्टर, ओमनी बस और समस्त तीन पहिया वाले यान	प्रति यान 200/- रु.
	(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन नहीं आने वाला कोई अन्य मोटर यान	प्रति यान 1500/- रु.
	(ग) मोटर यानों के चेसिस	प्रति चेसिस 1000/- रु.

टिप्पण-इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(i) किसी यान की बाबत सकल यान भार (जी.वी.डब्ल्यू.) से यान का कुल भार और उस यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप में प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है।

(ii) संलग्न यान को सम्मिलित करते हुए ट्रक, ट्रेलर या उसके किसी संयोजन या अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू. के प्रयोजन के लिए, ट्रक/होर्स ट्रेलर और साथ के किसी भी अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू. को उस पर कर की संगणना के लिए विचार में लिया जायेगा।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024/3]
राज्यपाल के आदेश से,

(गोपाल सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.44 .-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 32 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के विद्यमान नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**32.अपराधों का शमन.-** अधिनियम की धारा 11 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, उससे शोध्य कर, यदि कोई हो, के संदाय पर, कराधान अधिकारी या मोटर वाहन निरीक्षक/उप-निरीक्षक को अपराध के शमन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो अपराध कारित किये जाने के समय पर शोध्य कर की रकम के दो प्रतिशत के संदाय पर अपराध का शमन कर सकेगा किन्तु ऐसी रकम एक सौ रुपये से कम नहीं होगी।"

[प.6(179)परि/कर/मु./2024/4]
राज्यपाल के आदेश से,

(गोपाल सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2024

एस.ओ.45 .-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/2 दिनांक 08.02.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 30.06.2024 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन कारित पाये गये अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	**इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1 /1 दिनांक 24.02.2021 के आधार पर 30.06.2024 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (रु. में)**	**30.06.2024 तक कारित अपराध के लिए यान के लिए संदेय शमन रकम**
1	**2**	**3**
1.	1 लाख तक	अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/ 1/ 1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय रकम का 25 प्रतिशत
2.	1 लाख से अधिक	25,000/- रु. + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम /मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 लाख से अधिक की रकम का 10 प्रतिशत

परन्तु,-

(i) कृषि ट्रैक्टर-ट्राली से भिन्न किसी यान के लिए शमन रकम एक लाख से अधिक नहीं होगी।

(ii) कृषि ट्रैक्टर-ट्राली के लिए शमन रकम 7,500/- रु. से अधिक नहीं होगी।

यह अधिसूचना 31.12.2024 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024/5]

राज्यपाल के आदेश से,

(गोपाल सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, July 10, 2024

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.4(2)FD/Tax/2024-74 to 95, No.F.12(26)FD/Tax/2024-78 to 83 and Transport Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024/1 to 5 dated July 10, 2024.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.13 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the amount of Goods and Services Tax (GST) charged as the part of consideration shall be remitted.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-74]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.14 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2022-111 dated 23.02.2022 and F.4(2)FD/Tax/2023-46

dated 10.02.2023, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable under clause (iii) of the Article 21 of the schedule appended to the said Act on the conveyance deed relating to order of amalgamation, demerger or reconstruction between two or more companies shall be reduced and charged subject to maximum of rupees 25 crores as under:-

(i) an amount equal to one percent of the aggregate amount comprising of the market value of fully paid up shares issued or allotted in exchange of or otherwise, or on the face value of such shares, whichever is higher and the amount of consideration, if any, paid for such amalgamation, demerger or reconstruction, or

(ii) an amount equal to four percent of the market value of the immovable property situated in the State of Rajasthan of the transferor company or resultant company, as the case may be,

whichever is higher.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-75]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.15 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(15)FD/Tax Div./98-73 dated 14.08.1998 and F.4(2)FD/Tax/2023-31dated 10.02.2023, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the agreement executed for providing electricity connection for agricultural and residential purposes shall be remitted and for other purposes stamp duty shall be charged rupees 100 for such each agreement.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-76]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.16 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2023-25 dated 10.02.2023, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Description of the Instrument	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1	2	3
1.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of any land with or without construction before getting the lease deed from the State Government, Urban Local Bodies, Public Enterprises or any other Government Bodies.	On 20% of the market value of the land prevailing on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be.
2.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of any land with or without construction, before sale deed or gift deed is registered in respect of that land under the Registration Act, 1908.	On 20% of the market value of the land prevailing on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be.

Note: 1. While issuing lease deed, the State Government or authority concerned shall issue a certificate mentioning the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property along with date of their execution and shall also provide the copies of such intermediary instruments;

2. The lease holder, purchaser or donee along with his lease deed, sale deed or gift deed, as the case may be, shall submit such certificate and/or copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer;

3. The Sub-Registrar shall not register such lease deed, sale deed or gift deed, as the case may be, unless the certificate and/or the copies of the intermediary instruments specified in Note 1 or 2, as the case may be, have been presented

before him and the stamp duty and surcharge payable on such intermediary instruments have been recovered; and

4. The above rates shall also be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-77]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.17 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2023-27 dated 10.02.2023, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the assignment deed, by whatever name called, executed by the person who is eligible to get lease deed from local authority under sub-rule (3) of rule 11 or sub-rule (1) of rule 19 of the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012, for the purpose of assigning or transferring his right in favour of another person to get the lease deed shall be reduced and charged as under:-

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty
1	2	3
1.	For every allotment letter executed by the developer in respect of the project covered under the Rajasthan Township Policy, 2002 or Rajasthan Township Policy, 2010	Rupees five hundred on every such deed.

2.	In any other case not covered under serial number 1 above	5% on the market value of the property in respect of which assignment deed is executed.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-78]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.18 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty on the following instruments relating to a flat or residential unit, market value of which does not exceed rupees fifty lakh, in a multistorey building exceeding four floors shall be reduced and charged at the rate of five percent, namely:-

(i) conveyance deed; or

(ii) lease deed issued/executed by the State Government, Local Authorities, Public Enterprises or any other Government Bodies in consequence of allotment or sale.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-79]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.19 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No, 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-57 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the subsequent conveyance deed of a unit of multistory buildings exceeding four floors, executed within three years after registration of first conveyance deed of such unit, shall be reduced and charged at the rate of three percent on the market value.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-80]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.20 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(17)FD/Tax/2019-28 dated 10.07.2019, as amended from time to time and number F.4(17)FD/Tax/2019-37 dated 10.07.2019, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty and registration fees chargeable on the conveyance deed or lease deed regarding residential flat or house executed by the State Government or local authority or any other authority of the State Government or gift deed regarding residential flat or house executed by any person or private organisation,-

(i) in favour of wife of martyr,

(ii) if the wife of martyr is not alive, then in favour of either minor daughter or minor son,

(iii) if the martyr was unmarried, then in favour of either father or mother, and

(iv) if the martyr was widower and having no minor children, then in favour of either father or mother,

shall be remitted on submission of the certificate of identity issued by the concerned Welfare Officer or Authority.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-81]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.21 .-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-231 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that interest chargeable under section 72 on the amount of stamp duty determined under the said Act, for the period commencing from the date of execution of the instrument till the expiry of period of thirty days from the date of order of the Collector (Stamps), shall be remitted but interest already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-82]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.22 .-In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 57.- The existing rule 57 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 shall be substituted by the following, namely:-

"57. Facts affecting duty to be set forth in the instrument.- (1) The consideration if any and all other facts and circumstances affecting the chargeability of any instrument with duty, or the amount of the duty with which it is chargeable, shall be fully and truly set forth therein.

(2) The market value of the immovable property shall be determined on the basis of market value of the open land and the constructed portion separately as per their respective rates.

(3) The registering officer, for ascertaining the correctness of facts mentioned in the instrument of immovable property affecting stamp duty, may inspect the property himself or may direct his subordinate employee or any officer or employee authorised by the State Government under sub-rule (4) for such inspection.

(4) The State Government, for the purpose of ascertaining the correctness of the facts affecting the valuation of the immovable property mentioned in the instrument, may by order authorise for inspection any officer or employee of the Government, Local Bodies or State Enterprises or any other person and specify the methods and norms of inspection of such immovable properties through electronic device or otherwise.

(5) The State Government or Inspector General of Stamps may prescribe a proforma for specific mention of any information and such a proforma duly filled in shall always be deemed to be a part of the instrument.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-83]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.23 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that where two or more instruments specified in clause (d) of Article 5, Article 6, Article 30, Article 37 or Article 50 of the Schedule to the said Act are employed for completing a single transaction of loan only

the principal instrument shall be chargeable with the duty specified for it in the Schedule to the said Act and the stamp duty payable on each of other remaining instruments shall be remitted.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-84]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.24 .-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2024-67 dated 08.02.2024, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that,-

1. interest and penalty payable on stamp duty shall be remitted in the following cases, namely:-
   (i) cases pending before the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2024 to 31.12.2024.
   (ii) cases filed before the Collector (Stamps) during the period from 10.07.2024 to 31.12.2024 in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2024 to 31.12.2024.
   (iii) cases adjudicated by the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2024 to 31.12.2024.
   (iv) cases pending before the Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court upto the date of this notification wherein party withdraws the case and submits the evidence of such withdrawal and the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2024 to 31.12.2024.

2. The amount deposited under proviso to the section 65 of the said Act for filing revision before the Rajasthan Tax Board and amount of stamp duty deposited before the 10.07.2024 shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
3. In the aforesaid cases stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-85]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.25 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No, 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-49 dated 14.07.2014, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on agreement or memorandum of an agreement under clause (e) of Article 5 and power of attorney under clause (f) of Article 44 of the Schedule appened to the Act shall be reduced and charged as under:-

1. Two and half percent of the market value of the land where developer or promoter under the agreement or memorandum of an agreement or power of attorney gets part of developed property as consideration and is given powers to sale that part of the developed property on his own.
2. One percent of the market value of the land where developer or promoter is not given powers under the agreement or memorandum of an agreement or power of attorney to sale any part of developed property.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-86]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.26 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (l) and (2) of section 78 and section 79 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2024-68 dated 08.02.2024, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in column number 3 against serial number 2 of the ARTICLE-II, for the existing expression "1% of the value or consideration whichever is higher.", the expression "1% of the value or consideration whichever is higher but subject to minimum of rupees three hundred." shall be substituted;

(ii) the existing ARTICLE-VII and the entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"ARTICLE-VII
Fees for Search and Inspection

1.	(a) Search made by a Registering Officer for each entry or document	50 rupees for each year
	(b) Search made electronically for each defined time slot	50 rupees for each slot
	(c) An inspection by any person for each entry or document	50 rupees for each year
	(d) Copying and scanning the document	300/- per document
2.	**Site Inspection,-**	
	Site inspection done by the Sub-Registrar or any employee of Government, Local Bodies or State Enterprises or any other person authorised by the State Government,-	
	(i) where the value of the property without construction is upto rupees 50 lac	500/- per document
	(ii) where the value of the property with construction is upto rupees 50 lac	1000/- per document

	(iii) where the value of the property without construction exceeds rupees 50 lac but does not exceed rupees 10 crore	1500/- per document
	(iv) where the value of the property with construction is more than rupees 50 lac but does not exceed rupees 10 crore	2000/- per document
	(v) where the value of the property without construction exceeds rupees 10 crore	2500/- per document
	(vi) where the value of the property with construction exceeds rupees 10 crore	3000/- per document

"

(iii) in column number 2 against serial number 1 of the ARTICLE-X, the existing expression "for issue of copies" shall be deleted.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-87]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.27 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that in case of the instrument executed prior to March 31, 2004, the stamp duty shall be reduced and charged as under,-

S.No.	Period of Execution	Stamp Duty payable on
1.	If the document is executed upto March 31, 1995	On 20% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).
2.	If the document is executed between April 1, 1995 to March 31, 2000	On 30% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).

3.	If the document is executed between April 1, 2000 to March 31, 2004	On 40% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-88]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.28 .-In exercise of the powers conferred by clause (x) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of all the notifications previously issued in this regard, the State Government hereby appoints all the Deputy Inspector General, Registration and Stamps appointed under section 8 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) in various circles, by virtue, of their office to be Collector for the purposes of the Rajasthan Stamp Act, 1998.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-89]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.29 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby rescinds, with immediate effect, this department's notification number F.2(82)FD/Tax/ 2010-97 dated 30.11.2010.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-90]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.30 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approves and publishes the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955, made by the Inspector General of Registration, Rajasthan in exercise of the powers conferred on him by sub-section (1) of the section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Registration (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 181.- The existing rule 181 of the volume-1 of the Rajasthan Registration Rules, 1955 shall be substituted by the following, namely:

"**181. Cancellation of or correction in registered documents.-** When any registered document is cancelled or corrected by the order of court or by any other authority and a copy of the order of cancellation or correction, as the case may be, is sent to the registering office in which it was registered, the registering officer shall make a note of the cancellation or correction, as the case may be, opposite the copy of the document cancelled or corrected, specifying the name of the court or authority, date of order and details of the parties. The registering officer shall also enter these details of the note in index."

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-91]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.31 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2023-37 dated 10.02.2023, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty and registration fees chargeable on the instrument of settlement shall be reduced and charged as under:

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty	Registration Fees
1	2	3	4
1.	If such instrument is executed in favour of wife, son, daughter, son's son, son's daughter, daughter's son, daughter's daughter or daughter-in-law	Zero	Zero
2.	If such instrument is executed in favour of other family members	1.5 percent of the market value of the property settled by such instrument	Zero

Explanation: For the purpose of this notification "Family Member" means father, mother, husband, wife, brother, sister, son, daughter, son's son, son's daughter, daughter's son, daughter's daughter and daughter-in-law of settler.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-92]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.32 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.2(15)FD/Tax/2015-47 dated 26.06.2015, F.4(6)FD/Tax/2016-242 dated 08.03.2016, F.4(2)FD/Tax/2021-278 dated 24.02.2021 and F.4(2)FD/Tax/2022-120 dated 23.02.2022, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty and registration fee chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 and 4 respectively of the said table:-

Table

S. No.	Description of Instrument	Stamp Duty	Registration Fee
1	2	3	4
1.	Debt assignment executed in respect of performing assets (standard assets)	0.25 percent of the amount of debt subject to maximum of rupees one lakh.	One percent of the amount of debt subject to maximum of rupees twenty five thousand.

2.	Security receipts issued under sub-section (1) and (2) of section 7 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Central Act No. 54 of 2002)	0.25 percent of the amount of Net Asset Value subject to maximum of rupees one lakh.	One percent of the amount of debt subject to maximum of rupees twenty five thousand.
3.	Instruments specified in clause (d) of Article 5 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.	One percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees twenty five thousand.
4.	Instruments specified in Article 6 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.	One percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees twenty five thousand.
5.	Instruments specified in sub-clause (ii) of clause (b) of Article 30 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount of further charge secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.	One percent of the amount of further charge secure subject to maximum of rupees twenty five thousand.
6.	Instruments specified in clause (b) of Article 37 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.	One percent of the amount secured subject to maximum of rupees twenty five thousand.
7.	Instruments specified in Article 50 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.	One percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees twenty five thousand.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty and registration fee already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-93]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.33 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty and registration fees chargeable on the instruments executed between family members in respect of exchange of non-agriculture properties in their joint ownership shall be reduced and charged at the rate of two percent and 0.25 percent, respectively, of the market value of the property of greater value which is the subject matter of exchange.

Explanation: For the purpose of this notification "Family Member" means and includes father, mother, husband, wife, brother, sister, son, daughter, son's son, son's daughter, daughter's son, daughter's daughter and daughter-in-law.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty and registration fees already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-94]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.34 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty and registration fees chargeable on the instruments of Transferable Development Rights (TDR) issued in favour of the land owner in lieu of the land surrendered by him shall be remitted.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp

duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty and registration fee already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-95]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.35 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of the proviso to section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts from payment of electricity duty payable by a person on consumption of self generated energy used exclusively for generation of energy in captive power plants, commonly known as auxiliary energy consumption, to the extent as allowed by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC):

Provided that exemption under this notification shall be calculated on the basis of energy used for self consumption but shall not be allowed on the sale of electricity by the captive power plant.

For the purpose of this notification,-

'**Auxiliary energy consumption**' means electricity consumed by any electrical apparatus situated in a generating station, for generating electricity including Captive Generating Plant, Co-Generating Plant or any other generating plant and the transformer losses within the generating station:

Provided that it shall not include energy consumed for supply of power by the generating station to its housing colony and other facilities, and for construction works at the generating station.

[No.F.12(26)FD/Tax/2024-78]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.36 .-In exercise of the powers conferred by section 8A and 8B of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby allows rebate of electricity duty and waives interest and penalty, payable on auxiliary energy consumption of self generated energy used exclusively for generation of energy in captive power plants upto the date of this notification, to the extent as mentioned in column number 4 of the Table given below on the fulfillment of conditions as mentioned in column number 3 of the said Table for the electricity duty payable as mentioned in column number 2 of the said Table and the conditions mentioned below the table :-

Table

S.No.	**Electricity duty payable**	**Conditions**	**Amount of Rebate of electricity duty and waiver of interest and penalty**
1.	2.	3.	4.
	Electricity duty payable on auxiliary energy consumption of self generated energy used exclusively for generation of energy in captive power plants which is,- (i) determined by concerned Assessing Authority and communicated to the consumer; (ii) not determined yet by the Authority; and (iii) voluntary disclosure by the consumer before the Authority during the operative period of this notification.	The consumer has deposited 10% of electricity duty payable.	Remaining amount of electricity duty and whole amount of interest and penalty along with interest accrued upto the date of deposit of electricity duty under this notification.

Calculation of auxiliary energy consumption.- Exemption under this notification shall be calculated on the basis of energy used for self consumption but shall not be allowed on the sale of electricity by the captive power plant.

Conditions:- The benefits under this notification shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

(a) The applicant shall electronically convey his willingness to the concerned Assessing Authority on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in, to avail the benefit under this notification and shall deposit the amount required as per column number 3 of the table above;

(b) The applicant has to submit an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this notification; and

(c) Any amount of electricity duty, interest and penalty, if already paid shall not be refunded.

Explanations: For the pupose of this notification,-

(i) '**Auxiliary energy consumption**' means electricity consumed by any electrical apparatus situated in a generating station, for generating electricity including Captive Generating Plant, Co-Generating Plant or any other generating plant and the transformer losses within the generating station:

Provided that it shall not include energy consumed for supply of power by the generating station to its housing colony and other facilities, and for construction works at the generating station.

(ii) The detailed procedure and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this notification shall be notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

The notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31.12.2024.

[No.F.12(26)FD/Tax/2024-79]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.37 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, from the tax payable on the sale of Aviation Turbine Fuel (ATF) by a registered dealer to Flying Training Organisation or Aircraft Type Training Organisation approved by the Directorate General of Civil Aviation in the State, to the extent the rate of tax exceeds 2%, on

the condition that purchasing organisation shall generate a declaration form in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer.

[No.F.12(26)FD/Tax/2024-80]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.38 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Act, 2017 (Act No.9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.12(7)FD/Tax/2024-72 dated 08.02.2024, with immediate effect ,namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in sub-clause (2) of clause 1, for the existing expression "31.07.2024", the expression "31.12.2024" shall be substituted;

(ii) in the Table given in clause 4,-

(a) after the existing serial number 2 and entries thereto and before the existing serial number 3 and entries thereto, the following new serial number 2A and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

2A.	Outstanding demand not more than rupees ten lakhs in a single entry in the DCR.	Not applicable	Whole amount of tax, interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

"

(b) in column 2 against serial number 3, for the existing expression "serial number 1 and 2 of this table", the expression "serial number 1, 2 and 2A of this table " shall be substituted; and

(iii) in the Explanation number 1 under the Table given in clause 4, for the existing expression “31.07.2024”, the expression “31.12.2024” shall be substituted.

[No.F.12(26)FD/Tax/2024-81]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.39 .-In exercise of the powers conferred by section 99 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 53.- The existing Explanation of sub-rule (1) of rule 53 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules, shall be deleted.

3. Amendment of rule 54.- The existing Explanation of sub-rule (1) of rule 54 of the said rules shall be deleted.

[No.F.12(26)FD/Tax/2024-82]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.40 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, a registered dealer from the tax payable on the sale of Foreign Liquor, Indian Made

Foreign Liquor and Beer sold to the dealers/persons not having retail off licenses issued by the Excise Department, Government of Rajasthan, to the extent the rate of tax exceeds 20%.

[No.F.12(26)FD/Tax/2024-83]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.41 .-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/2 dated 10.07.2019, as amended from time to time, the State Government hereby specifies, with immediate effect, the rate of one time tax payable on non-transport vehicles and transport vehicles as specified in column number 2 of the table given below, at the rates specified against each of them in column number 3 of the said table, namely:-

Table

S.No.	Description of Class of Motor Vehicle	Rate of One Time Tax
1	2	3
1.	Two Wheeled Vehicles used as transport or non-transport vehicle having engine capacity.	
	(a) upto 200 cc	8% of the cost of the vehicle.
	(b) more than 200 cc and upto 500 cc	13% of the cost of the vehicle.
	(c) more than 500 cc	15% of the cost of the vehicle.
2.	Three Wheeled Passenger Vehicles used as Transport or Non-Transport Vehicle.	
	(a) with seating capacity upto three	Rs. 3000/-
	(b) with seating capacity four	Rs. 6000/-
	(c) with seating capacity more than four	Rs. 8000/-
3.	Four Wheeled Non-Transport Vehicle with seating capacity upto 10 having engine capacity	
	(a) upto 800 cc	6% of the cost of the vehicle
	(b) more than 800 cc and upto 1200 cc	9% of the cost of the vehicle
	(c) more than 1200 cc	
	(i) petrol/CNG/LPG/solar energy	10% of the cost of the vehicle
	(ii) diesel	12% of the cost of the vehicle

4.	More than Three Wheeled Taxi cab/Maxi cab/Contract Carriage Permit Vehicle and Tourist Permit Vehicle.	
	(a) with seating capacity upto 13	
	(i) purchased as chassis	12% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	10% of the cost of the vehicle
	(b) with seating capacity more than 13 and upto 22	
	(i) purchased as chassis	25% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	16% of the cost of the vehicle.
5.	Goods Vehicle	
	(a) Articulated Vehicle	
	(i) Three Wheeled Vehicle	9% of the cost of the vehicle/chassis.
	(ii) More than Three Wheeled Vehicle	10% of the cost of the vehicle/chassis.
	(b) Other than Articulated Vehicle	
	(i) Three Wheeled Vehicle	9% of the cost of the vehicle.
	(ii) More than Three Wheeled Goods Vehicle having Gross Vehicle Weight upto 3000 kg.	10% of the cost of the vehicle.
	(iii) More than Three Wheeled Goods Vehicle having Gross Vehicle Weight more than 3000 kg. and upto 16500 kg.	11% of the cost of the vehicle/ chassis.
6.	Other Goods Vehicle not covered under any category above or vehicle such as Dumper, Loader, Camper Vans, Camper Trailers, Cash Van, Mobile Canteen, Haul Pack Dumpers, Mobile Workshop, Ambulance, Fire Tenders, Snorked ladders, Auxiliary Trailers, Fire Fighting Vehicles, hearses, Mail Carrier, Mobile Clinic, X-Ray Vans, Library Vans etc.	
	(a) purchased as a chassis	10% of the cost of the chassis.
	(b) purchased with a complete body	7.5% of the cost of the vehicle.
7.	Private Service Vehicles	
	(a) with seating capacity upto13 seats	
	(i) purchased as a chassis	15% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	12% of the cost of the vehicle.
	(b) with seating capacity more than 13 and upto 22 seats	
	(i) purchased as a chassis	25% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	15% of the cost of the vehicle.
8.	Educational Institutional Bus with seating capacity more than 7 and upto 10	
	(i) purchased as a chassis	15% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	12% of the cost of the vehicle.
9.	Camper Van/Trailer for private use	
	(i) purchased as a chassis	10% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	7.5% of the cost of the vehicle.

10.	Vehicles fitted with Equipments like Rig, Generator, Compressor, Crane Mounted Vehicle, Fork Lift, Tow Trucks, Breakdown Van, Recovery Vehicles, Tower Wagon, Tree Trimming Vehicles or any other Non-Transport Vehicle not covered under any category.	
	(i) purchased as a chassis	10% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	8% of the cost of the vehicle.
11.	Construction Equipment Vehicle	
	(i) purchased as a chassis	10% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	8% of the cost of the vehicle.
12.	Purely Off Highway Vehicle	
	(i) purchased as a chassis	7.5% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	6% of the cost of the vehicle.
13.	Trailers attached with agriculture tractor for use as Goods Vehicles	Rs. 500/-

Provided that, –

(i) On every transfer of ownership of non-transport motor vehicles mentioned in column number 2 against serial number 1 and 3 above, an additional one time tax at the rate of 25% of the one time tax paid at the time of registration or after registration shall be payable.

(ii) On every transfer of ownership of non-transport motor vehicles mentioned in column number 2 against serial number 9 to 11 above, an additional one time tax at the rate of 10% of the one time tax paid at the time of registration or after registration shall be payable.

(iii) No additional tax shall be payable,-

(a) in case where transfer of ownership is being done in the name of person succeeding to the possession of the motor vehicle owing to the death of the registered owner of the motor vehicle; or

(b) in case where the vehicle is transferred in the name of the insurance company on account of settlement of the claim filed by the owner against the insurance company.

(iv) In case of vehicles already registered in or outside the state or in case of military disposal vehicles, on which One time tax was not payable earlier, the One time tax shall be arrived at by reducing the amount of tax as computed above, at the rate of 5% per financial year or part thereof upto Five years from the date of registration.

(v) In case where One time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C prevalent before 10.07.2019 of the Act for non-transport vehicle has been paid and thereafter the category/description of the vehicle changes, the vehicle owner shall have to pay difference of tax if change in category/description leads to higher rate of tax but if change in category/description leads to lower rate of tax the vehicle owner has not to pay any tax.

(vi) In case where One time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C prevalent before 10.07.2019 of the Act for transport vehicle has been paid and thereafter the category/description of the vehicle changes, the vehicle owner shall not be required to pay any tax.

(vii) If vehicles, as mentioned in column number 2 against serial number 3 above, are found plying on hire or reward, then these vehicle shall be liable to pay tax as notified for

transport vehicles of similar type at one fourth the rate of one time tax, for the financial year in which the vehicle was found on hire or reward.

Note: In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor Vehicle, any tax or penalty as was payable under the Act for any period prior to the coming into force of this notification.

Explanation:

(i) The cost of the vehicle for the computation of tax,-
   (a) in case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacture or dealer.
   (b) in case of vehicle registered/purchased outside the State and brought in Rajasthan for assignment/registration and for the vehicles already registered in Rajasthan on which one time tax was not payable earlier, shall be the cost as prevailing in Rajasthan on the day when the tax becomes due on similar type of the vehicle in this State.
   (c) in case of vehicle manufactured out of India, shall be the purchase price in Indian currency including freight, taxes and duties levied at the time of its import into the territory of India.

(ii) "Construction Equipment Vehicle" shall mean a vehicle as defined in rule 2(cab) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The use of public road by Construction Equipment Vehicle is incidental to the main off-route function. If the public road is being used regularly for carrying on commercial activities, then Construction Equipment Vehicle shall be deemed to be a Transport Vehicle.

(iii) Purely-off highway vehicle means a motor vehicle either used as a Construction Equipment Vehicle or designed and adapted for use in any enclosed premises, factory or mine, equipped to travel on its own sources of power.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024/1]
By Order of the Governor,

(Gopal Singh)
Joint Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.42 .-In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 4 read with section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3 dated 10.07.2019, as amended from time to time, the State

Government hereby, specifies, with immediate effect, motor vehicle tax payable on Passenger Vehicles registered in the State or registered in other State and plying on non-temporary permit or temporary permit as specified in column number 2 of the table given below, at the rates specified against each of them in column number 3 of the said table, namely :-

Table

S.No.	Description of Class of Motor Vehicle	Rate of Tax
1	2	3
1.	Stage Carriage Vehicles plying on scheme routes (nationalized routes) excluding those owned by a fleet owner or those plying exclusively within the area of municipality or urban improvement trust or both or sub-urban routes or rural routes.	Rs. 665/- per seat per month
2.	Stage Carriage Vehicles not covered in serial number 1 above excluding those owned by a fleet owner or those plying exclusively within the area of municipality or urban improvement trust or both or rural routes	
	(a) Sub-urban routes	
	(i) plying upto 200 km. per day	Rs. 150/- per seat per month.
	(ii) plying more than 200 km. and upto 300 km. per day	Rs. 200/- per seat per month
	(iii) plying more than 300 km. per day	Rs. 300/- per seat per month
	(b) Other routes	
	(i) plying upto 100 km. per day	Rs. 207/- per seat per month
	(ii) plying above 100 km. and upto 150 km. per day	Rs. 225/- per seat per month
	(iii) plying above 150 km. and upto 200 km. per day	Rs. 252/- per seat per month
	(iv) plying above 200 km. and upto 250 km. per day	Rs. 270/- per seat per month
	(v) plying above 250 km. and upto 300 km. per day	Rs. 288/- per seat per month
	(vi) plying above 300 km. per day	Rs. 400/- per seat per month
3.	Stage Carriage Vehicles plying on rural routes	
	(a) distance required to be covered by the service in a day upto 200 km.	Rs. 117/- per seat per month
	(b) distance required to be covered by the service in a day exceeds 200 km.	Rs. 126/- per seat per month

4.	Stage Carriage Vehicles plying exclusively within Municipal/UIT limits	
	(a) with seating capacity upto 26 seats	Rs. 4000/- per year
	(b) with seating capacity more than 26 and upto 32 seats	Rs. 5000/- per year
	(c) with seating capacity more than 32 seats	Rs. 10000/- per year
5.	Stage Carriage Vehicles of other States plying on interstate routes in Rajasthan	
	(i) plying upto 20 km. per day	Rs. 25 /- per day
	(ii) plying exceeding 20 km. but not exceeding 40 km. per day	Rs. 50/- per day
	(iii) plying exceeding 40 km. but not exceeding 80 km. per day	Rs. 150 /- per day
	(iv) plying exceeding 80 km. but not exceeding 120km. per day	Rs. 225 /- per day
	(v) plying exceeding 120 km. but not exceeding 160 km. per day	Rs. 300/- per day
	(vi) plying exceeding 160 km. but not exceeding 240 km. per day	Rs. 400/- per day
	(vii)plying exceeding 240 km. but not exceeding 400 km. per day	Rs. 500/- per day
	(viii)plying over 400 km. per day	Rs. 700 /- per day
6.	Vehicles of other States plying on interstate routes beyond/without reciprocal agreement	
	(a) with seating capacity upto 47 seats	Rs. 2.50 /- per seat per day
	(b) with seating capacity more than 47 seats	Rs. 1.50 /- per seat per day
7.	Vehicles plying on contract carriage permits (other than tourist permits) both temporary and non-temporary permits, and on passenger vehicles plying on hire or reward without permit of this State	
	(a) more than three wheeled motor vehicles plying on non-temporary permits	
	(i) with seating capacity more than 22	Rs. 700/- per seat per month subject to a maximum of Rs. 40,000/- per month
	(ii) sleeper bus	Rs. 510/- per seat per month subject to a maximum of Rs. 40,000/- per month
	(b) three wheeled motor vehicles plying on temporary permits	Rs. 35/- per day
	(c) more than three wheeled motor vehicles plying on temporary permits	
	(i) with seating capacity upto 6 seats	Rs. 40/- per day
	(ii) with seating capacity more than 6 and upto 13 seats	Rs. 80/- per day
	(iii) with seating capacity more than 13 and upto 22 seats	Rs. 400/- per day

	(iv) with seating capacity more than 22 seats	Rs. 600/- per day
8.	Vehicles plying on tourist permits of this state	
	(a) more than three wheeled motor vehicles with seating capacity more than 22	Rs. 875/- per seat per month subject to a maximum of Rs. 40,000/- per month
	(b) more than three wheeled sleeper coaches	Rs. 510/- per seat per month
9.	Private Service Vehicles with seating capacity more than 22 seats	Rs. 290/- per seat per month
10.	Stage carriage vehicles owned by a fleet owner, other than those plying exclusively within the municipality or Urban Improvement Trust limits and on Sub-urban routes.	Rs. 26,250/- per month per vehicle used or kept for use as stage carriages in the fleet, including vehicles hired by the fleet owner during the month to which the tax relates.
11.	Tourist Vehicles of other States plying on permits issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988	
	(a) with seating capacity upto 6 seats	Rs. 160/- per day
	(b) with seating capacity more than 6 and upto 13 seats	Rs. 210/- per day
	(c) with seating capacity more than 13 and upto 22 seats	Rs. 875/- per day but shall be paid for minimum five days
	(d) with seating capacity more than 22 and upto 32 seats	Rs. 1000/- per day but shall be paid for minimum five days
	(e) with seating capacity more than 32 seats	Rs. 1600/- per day but shall be paid for minimum five days
12.	Vehicle registered outside the State plying on temporary permit in the State of Rajasthan	
	(a) three wheeled passenger vehicles	Rs. 200/- per week
	(b) more than three wheeled passenger Vehicles	
	(i) with seating capacity upto 6 seats	Rs. 160/- per day
	(ii) with seating capacity more than 6 and upto 13 seats	Rs. 210/- per day
	(iii) with seating capacity more than 13 and upto 22 seats	Rs. 900/- per day but shall be paid for minimum five days
	(iv) with seating capacity more than 22 and upto 32 seats	Rs. 1000/- per day but shall be paid for minimum five days
	(v) with seating capacity more than 32 seats	Rs. 1600/- per day but shall be paid for minimum five days
13.	Spare vehicle (vehicle not covered under any permit)	Rs. 320/- per seat per month

Provided that,-

(i) if any stage carriage falling under serial number 1 to 3 is found plying any trip other than trip/trips allowed to it under the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under, then such stage carriages shall be liable to pay additional tax for the entire month at the rate specified against the category for which it is allowed for plying.

(ii) in case of vehicles specified in serial number 1 to 3 and 7 to 9, obtaining the fresh permits, the tax shall be payable from the date of issue of permits on pro-rata basis in advance for the remaining period of the month and shall be deposited at the time of issue of permit.

(iii) in case of vehicles falling under sub-clause (i) of clause (a) in column number 2 against serial number 7 and plying exclusively within the Municipal/UIT limits the tax shall be payable to a maximum of Rs. 14,000 per month.

(iv) in case of the motor vehicle falling under sub-clause (i) of clause (a) in column 2 against serial number 7 and plying exclusively within the revenue divisional limits, the tax shall be 30% of the tax payable on such motor vehicle.

(v) in case of vehicles falling under sub-clause (i) of clause (a) in column number 2 against serial number 7 and plying exclusively under a non-temporary fix contract with any industrial or commercial entity, the tax shall be payable to a maximum of Rs. 10000/- per month for vehicle with seating capacity more than 22 and upto 32 and Rs. 14,000/- per month for vehicle with seating capacity more than 32.

(vi) if any vehicle specified in proviso (v) above, is found plying without appropriate permit it shall be liable to pay additional tax, two times of tax as specified against serial number 1.

(vii) if a passenger vehicle having seating capacity more than 10 is found plying on hire or reward without any valid permit, then such vehicle shall be liable to pay additional tax for the entire month at the rate specified against serial number 1.

(viii) in case of vehicles specified in serial number 13, the tax shall be payable on pro rata basis for the period for which vehicle remains without permit.

(ix) in case of vehicles falling under clause (b) of column 2 against serial number 2 and having seating capacity upto 32, plying upto 40 km. in a day on the route lying between two municipalities and length of such route does not exceed 10 km., Motor Vehicle tax shall be payable at the rate of Rs. 100/- per seat per month.

(x) passenger vehicles shall be exempted from tax payable as specified in column 3 against serial number 13, if the vehicle is covered by a non-temporary permit within 30 days from the date of registration or surrender of permit.

(xi) the tax for the month of March on stage carriages, other than those plying exclusively within the municipal limits, shall be equal to 50 percent of the tax payable, if the applicable tax for preceding eleven month is paid within time as specified in sub-clause (v) of clause (A) of rule 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951.

Note: In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor Vehicle, any tax or penalty as it was

payable under the said Act for any period prior to the coming into force of this notification.

Explanation: For the purpose of computation of the seating capacity of the sleeper coach, each berth shall be treated equal to 2 seats.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024/2]
By Order of the Governor,

(Gopal Singh)
Joint Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.43 .-In exercise of the powers conferred by clause (a), clause (c) and clause (cc) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari /Tax /Hqrs /2019-20/4 dated 10.07.2019, as amended from time to time, the State Government hereby, specifies, with immediate effect, motor vehicle tax payable on Goods Vehicles registered in the State, Goods Vehicle of other State plying on temporary permits, Construction Equipment Vehicles, motor vehicles or chassis of motor vehicles registered temporarily and passing through the State and Goods Vehicle of other States plying on permit issued under reciprocal agreement as specified in column number 2 of the table given below, at the rates specified against each in column number 3 thereof, namely:-

Table

S.No.	Description of Class of Motor Vehicle	Rate of Tax
1	2	3
1.	Goods Vehicle of the State	
	(a) more than Three Wheeled Vehicle	
	(i) G.V.W. more than 16500 kg. & upto 18500 kg.	Rs. 1000/- per 1000 kg. of G.V.W. or part thereof per year
	(ii) G.V.W. more than 18500 kg. & upto 42000 kg.	Rs. 800/- per 1000 kg. of G.V.W. or part thereof per year
	(iii) G.V.W. more than 42000 kg. & upto 48000 kg.	Rs. 750/- per 1000 kg. of G.V.W. or part thereof per year
	(iv) G.V.W. more than 48000 kg.	Rs. 700/- per 1000 kg. of G.V.W. or part thereof per year
	(b) any other transport vehicle not covered under any category above or vehicle such as Dumper, Loader, Camper Vans, Camper Trailers, Tipper, Cash	Rs. 1800/- per 1000 Kg. of G.V.W. or part thereof per year subject to a maximum of Rs. 40,000/-

	Van, Mobile Canteen, Haul Pack Dumper, Mobile Workshop, Ambulance, Animal Ambulance, Fire Tenders, Snorked Ladders, Auxiliary Trailers, Fire Fighting Vehicles, Hearses, Mail Carrier, Mobile Clinic, X-Ray Vans, Library Vans, etc.	
	(c) over dimension carrier trailers used as Goods Vehicles	Rs. 50,000/- per year
2.	Goods Vehicle of other States plying on permit issued under reciprocal agreement.	
	(i) with load carrying capacity upto 9000 kg.	Rs. 500/- per 1000 kg. or part thereof yearly.
	(ii) with load carrying capacity above 9000 kg.	Rs. 800/- per 1000 kg. or part thereof yearly.
3.	Goods Vehicle of other States plying on temporary permits in the state.	
	(i) G.V.W. upto 6000 kg.	Rs. 200/- per 1000 kg. of G.V.W. or part thereof for 30 days or part thereof.
	(ii) G.V.W. more than 6000 kg.	Rs. 160/- per 1000 kg. of G.V.W. or part thereof for 30 days or part thereof.
4.	Construction Equipment Vehicles of other States coming for temporary use in the State.	Rs. 1000/- per1000 kg. of G.V.W. or part thereof for 30 days or part thereof.
5.	Motor Vehicles or chassis of Motor Vehicles registered temporarily and passing through the State.	
	(a) Motor Car, Tractor, Omni Bus with seating capacity upto 10 excluding driver and all three wheeled vehicles	Rs. 200/- per vehicle.
	(b) Any other Motor Vehicles not covered under clause(a) above	Rs. 1500/- per vehicle.
	(c) Chassis of Motor Vehicles	Rs. 1000/- per chassis

Note: In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor Vehicle, any tax or penalty as was payable under the said Act for any period prior to the coming into force of this notification.

Explanation : For the purpose of this notification,-

(i) G.V.W. means Gross Vehicle Weight in respect of any vehicle the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle.

(ii) G.V.W. of Truck, Trailers or any combination or adaption thereof, including the articulated vehicles, the G.V.W. of the Truck/horse trailer

and any adaption together shall be taken in consideration for computation of tax thereon.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024/3]
By Order of the Governor,

(Gopal Singh)
Joint Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.44 .-In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 32.- The existing rule 32 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951 shall be substituted by the following, namely:-

"**32. Compounding of Offences.-** Any person accused of an offence punishable under section 11 of the Act may, on payment of the tax, if any, due from him, present an application for compounding the offence to the Taxation Officer or Motor Vehicle Inspector/Sub-inspector who may compound the offence on payment of 2% of amount of tax due at the time of offence committed but such amount shall not be less than rupees one hundred."

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024/4]
By Order of the Governor,

(Gopal Singh)
Joint Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

S.O.45 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), and in supersession of this deparment's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024-25/2 dated 08.02.2024, the

State Government hereby authorises the District Transport Officer to compound the offences found committed on or before 30.06.2024 under clause (b) of sub-section (3) of section 113 of the said Act, on the basis of information received through e-ravanna of the Mines Department, for the compounding amount as specified in column 3 of the table given below, namely:-

Table

S. No.	**Total compounding amount payable for a vehicle upto 30.06.2024 on the basis of this department's notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/ part/1/1 dated 24.02.2021 (in Rs.)**	**Compounding amount payable for a vehicle for offence committed upto 30.06.2024**
1	**2**	**3**
1.	Upto 1 lakh	25% of the amount payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/ H.Q. /87/part/1/1 dated 24.02.2021
2.	Above 1 lakh	Rs. 25,000/- + 10% of the amount above 1 lakh payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021

Provided that,-

(i) the compounding amount for a vehicle other than Agriculture Tractor-Trolley shall not be more than rupees one lakh.

(ii) the compounding amount for Agriculture Tractor-Trolley shall not be more than Rs.7,500/-.

This notification shall remain in force upto 31.12.2024.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024/5]
By Order of the Governor,

(Gopal Singh)
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur